न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः— अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 26 / 2018 / जैसलमेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार शिव। जिला बाड़मेर

बनाम 1.जुसब खां पुत्र रतेखां जाति मुसलमान निवासी जोरानाड़ा तहसील शिव जिला बाड़मेर।

2.आचारखां पुत्र जुसबखां जाति मुसलमान निवासी जोरानाड़ा तहसील शिव जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव के राजस्व वाद संख्या 87 / 2014 बनवान जुसबखां वगै. बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.12.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हरिराम चौधरी राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।
3. वकील श्री गौरव खत्री आवेदक प्रार्थी की तरफ से।

निर्णय

दिनांकः— 26.03.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी / रेस्पोडेंट ने एक दावा घोषणा एवं खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त हेतु राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि तहसीलदार शिव के विरूद्ध उक्त विवादग्रस्त भूमि का वाद पेश कर निवेदन किया कि तत्कालीन ग्राम जोरानाड़ा वर्तमान ग्राम पीथोरानगर पटवार क्षेत्र शिव स्थित खेत खसरा संख्या 723 एवं 960 / 722 रकबा क्रमशः 37.08 बीघा, 23.00 बीघा किस्म बा. दो. के आये हुए है। जिस पर वक्त सेटलमेंट व सेटलमेंट से पूर्व से वादीगण एवं इनके पूर्व जो का कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के शांति पूर्वक चला आ रहा है तथा साथ ही उक्त वादग्रस्त आराजीयात के मौके पर वादी की रहवासी ढाणी, पानी के टांका व मवेशियों के पशु बाडे, चारे इत्यादि बने हुए है। अपीलाधीन आराजी पर वादीगण के पिता रतेखां का कब्जा काश्त था। एवं वही लगान अदायगी उक्त खसरान का अदा करता था। वादग्रस्त खेतों का कब्जाश्त वादीगण एवं वालिदों का सेटलमेंट से पूर्व पीढीयों से चला आ रहा है। साथ ही उक्त भूमि पुश्तैनी होना बताया एवं वादीगण तथा उसका परिवार अत्यन्त निर्धन, ग्रामीण अल्पसंख्यक तबके का अनपढ व्यक्ति होने से उसे राजस्व रेकार्ड का ज्ञान नहीं रहा एवं उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज न होकर सरकारी भूमि दर्ज रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री वादीगण के मौखिक साक्ष्य के आधार पर पारित की गई जबकि वादीगण की ओर से किसी भी तरह का कोई दस्तावेजी साक्ष्य या ठोस आधार या तथ्य पेश नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया। जबकि अपीलाधीन आराजी सिवायचक है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 09.12.2017 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी पी सी पर आदेश पारित करना न्यायोचित होगा। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पेश प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों एवं दिनांक 23.03.2021 को पेश लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आरजी में प्रार्थी हितबद्ध एवं पिड़ित पक्षकार है। न्याय का यह सामान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक पीड़ित पक्षकार को न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में अपना पक्ष प्रस्तुत करना का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वादों की बहूल्यता को रोका जा सके। उक्त प्रकरण में विवादित आराजी का वास्तविक भौतिक स्वरूप व उसके कब्जे काश्त के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये है तथा वर्तमान में मौके पर मेरी तारबंदी की हुई है, सरकारी सहायता से टांके बना हुऐ है टयूब वैल बना हुआ है तथा परिवार के रहवासी हेतु ढाणी भी बनी हुई। अतः न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन को स्वीकार कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने उक्त प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी आवेदक का हस्तगत आरजी को लेकर कोई हक नहीं बनता है। अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण को लंबा करने की नीयत से आवेदन पेश किया गया है। आवदेक द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र काल्पनिक एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया। अतः खारिज फरमया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष को प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी पी सी पर बहस सुनने एवं प्रार्थना–पत्र का अवलोकन करने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय का निष्कर्ष है कि आवेदक द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी हितबद्ध एवं पिड़ित पक्षकार है। आवेदक द्वारा हस्तगत आवेदन काल्पनिक एवं मनगंढत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया। प्रार्थी हितबद्ध एवं पिड़ित पक्षकार नहीं होने से पेश प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.03.2021 को खारिज किया जाता है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर सम्मन जारी किये जिस पर अपीलान्ट दिनांक 31.08.15 के पेश होकर जवाबदावा दिनांक 08.03.17 को पेश किया गया। तथा तनकीयात कायम कर साक्षीयों के बयान लेकर अपीलाधीन आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। हस्तगत पत्रावली पर अपनायी गयी प्रकिया के अवलोकन से स्पष्ट है, वादी के बनावटी वाद को सही ठहराने के लिये सम्बन्धित पेरोकार, हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक व यहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दबाव व मिलावट से कृत्य किया जाना स्पष्ट होता है। व जबरन वादीगण के पक्ष में वाद र्निमित करने की कोशिश की गई हैं। वादीगण के वादपत्र के तथ्यों को देखने से ही स्पष्ट है कि वादी का वाद विधि से वर्जित पेश हुआ है, प्रत्येक कथन दूसरे कथन का विरोध करने वाले है, वादी स्वयं कन्फ्यूज रहा है कि वह अपने आपको, पैतृक अधिकारी बताये या आवंटन से हकदार बताये या प्रतिकूल कब्जा से दावा लाये। तीनों कथनों के एक साथ आधार बनाकर दावा विधि की दृष्टि से कतई उचित नहीं है। न्यायालय श्री को उक्त दावा के तथ्यों का अवलोकन कर वाद को सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत लिया जाकर निर्णय किया जाकर खारिज फरमाया जाना था। सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 ''यह स्पष्ट करता है कि आदेश 7 नियम 11 ''सिविल प्रकिया संहिता के तहत कार्यवाही किसी पक्षकार के आवेदन का इंतजार नहीं करती – यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह वाद पत्र को निरस्त करें, यदि उसके कारण स्वयं वाद पत्र को पढ़ने मात्र से ही विद्यमान होना पाये जावे, न कि प्रतिरक्षा या किसी अन्य दस्तावेजों के पठन से RLW 2006(2) RJ page 940 चेयरमेन ग्राम सभा ग्रामदाजी v/sरिसक शिरोमणी व अन्य।

रेस्पोडेंट/वादी व उसके वालिद रते खां का वक्त सेटलमेट से व पहले से लगान अदा करते आ रहे थे। इस कथन को आधार संवत् 2009 से 2021 का कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही हो सकता है। परन्तु ऐसा दस्तावेज पेश करने का भार वादी पर होने के बावजूद संवत् 2009 से 2021 लगान अदायगी व रेकर्ड ऑफ राईट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दस्तावेजी साक्ष्य वादी ने पेश नहीं की, जो संवत् 2009 से 2021 या इससे पूर्व लगान अदा करने या काश्त करने का साक्ष्य हो।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज पेरोकार द्वारा पेश जवाबदावा के बाद दिनांक 06.04.2017 को तनकीयात कायम की जिसमें प्रथम तनकी "आया वादी ग्राम जोरा नाडा तहसील शिव की ख. न. 723 रकबा 37.08 बीघा एवं खसरा नम्बर 960/722 रकबा 23.00 बीघा भूमि अपनी खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है।"

उक्त तनकी अपने आप में अपूर्ण व घुमा-फिराकर बनाई गई स्पष्ट प्रतीत होती है, जब वादी वादपत्र में कथन करता है कि वक्त सेटलमेंट व पूर्व जागीरदारी से उनके वालिद का कब्जा, उनके वालिद को आवंटन से कब्जा व 37 वर्षों से एडवर्स पजेशन से कब्जा, विन्दु में कौन सा विवाद विन्दु तनकी संख्या 1 में रखा गया है, यह स्पष्ट ही नहीं हो रहा है, ऐसी तनकी स्वयं औचित्य हीन रही है।

न्यायालय ने कथन किया है कि "निरीक्षक भू अभिलेख शिव द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट से वादीगण का कब्जा काश्त, ढाणियों, टांकों आदि का होना सावित है" परन्तु पत्रावली की आदेशिका व पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि **न्यायालय में मौका रिपोर्ट हेतु किसी भी पक्षकार ने कोई आवेदन या निवेदन नहीं किया, न ही न्यायालय ने कोई मौका रिपोर्ट चाही गई थी, न ही न्यायालय द्वारा किसी सक्षम प्राधिकारी को कमिश्नर बताया गया है, तथा न ही भू अभि. नि. कमिश्नर की अधिकारिता रखते है, उक्त बनावटी मौका रिपोर्ट जिसका कोई प्रति परीक्षण नहीं करवाया गया है, कानूनन पत्रावली का भाग नहीं हो सकती न ही ऐसी कोई मौका रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं की जा सकती है।**

(व) कि तनकी संख्या 1 **साबित करने का जिम्मा वादीगण का रहा परन्तु तनकी संख्या 1 के विवेचन में अधीनस्थ न्यायालय श्री** ने आगे कथन किया है कि

"वादीगण के पूर्व पुरूष को आवंटन कमेटी द्वारा उनकी पात्रता के आधार पर 54 वर्ष पहले ख. न. 722 की 23.00 बीघा भूमि आवंटित हुई थी, जिसका राजस्व रेकर्ड में अमल वरामद नहीं हुआ है। उक्त **आवंटन के सम्बन्ध में प्रतिवादी पक्ष की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उक्त आवंटन प्रकिया में किसी प्रकार की अनियमितता या आवंटिति की अपात्रता प्रकट होती हो"**

जबकि वादीगण ने स्वयं कोई आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत आवंटन पत्रावली आदेश या कमेटी समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र आदि को पेश नहीं किया, न ही विवेचन करवाया, न ही उनके पक्ष में आवंटन को साबित करवाया, यहां यह भी नहीं देखा की वादी, जब कदीमी से काविज मानकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में आने के दिन से खातेदारी हक का दावा कर रहा है, तो पश्चातवृर्ती कथित आंवटन के कथन अपने आप ही औचित्य हीन है।

सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि तत्कालीन ग्राम जोरानाड़ा वर्तमान ग्राम पीथोरानगर पटवार क्षेत्र शिव स्थित खेत खसरा संख्या 723 एवं 960/722 रकबा क्रमशः 37.08 बीघा, 23.00 बीघा किस्म बा. दो. के आये हुए है। जिस पर वक्त सेटलमेंट व सेटलमेंट से पूर्व से वादीगण एवं इनके पूर्व जो का कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के शांति पूर्वक चला आ रहा है तथा साथ ही उक्त वादग्रस्त आराजीयात के मौके पर वादी की रहवासी ढाणी, पानी के टांका व मवेशियों के पशु बाडे, चारे इत्यादि बने हुए है। अपीलाधीन आराजी पर वादीगण के पिता रतेखां का कब्जा काश्त था। एवं वही लगान अदायगी उक्त खसरान का अदा करता था। वादग्रस्त खेतों का कब्जाश्त वादीगण एवं वालिदों का सेटलमेंट से पूर्व पीढीयों से चला आ रहा है। साथ ही उक्त भूमि पुश्तैनी होना बताया एवं वादीगण तथा उसका परिवार अत्यन्त निर्धन, ग्रामीण अल्पसंख्यक तबके का अनपढ व्यक्ति होने से उसे राजस्व रेकार्ड का ज्ञान नहीं रहा एवं उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज न होकर सरकारी भूमि दर्ज रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व दावे में तनकीयात कायम कर तनकीवार साक्ष्य ली जाकर तनकीवार निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का राजस्व रिकॉर्ड में इंन्द्राज हो गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुननकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थति में पारित की गई जो विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने धारा 05 के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा पेश अपील सुदीर्घ अवधि बाद पेश की गई जो म्याद बाहर विधि वर्जित है। अपीलांट द्वारा अपील देरी से पेश करने का कोई सदभाविक कारण नहीं बताया है। अपील देरी से पेश करने के एक–एक दिन का हिसाब नहीं बताया गया है। अतः अपीलांट की अपील म्याद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि 1. रेस्पोडेंट/वादी व उसके वालिद रते खां का वक्त सेटलमेट से व पहले से लगान अदा करते आ रहे थे। इस कथन का आधार संवत् 2009 से 2021 का कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही हो सकता है। परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पेश करने का भार वादी पर होने के बावजूद संवत् 2009 से 2021 लगान अदायगी व रेकर्ड ऑफ राईट के दस्तावेजी साक्ष्य वादी ने पेश नहीं की, जो संवत् 2009 से 2021 या इससे पूर्व लगान अदा करने या काश्त करने का साक्ष्य हो। उसको कुछ भूमि आवंटन की गई तथा 37 वर्षों से कब्जा है अर्थात् स्पष्ट स्वीकार कर रहा है कि 37 वर्षों से पूर्व उसका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं था। वादी दावा संवत् 2072 में लाया तो उसका कब्जा जो एडमिट है। 37 वर्ष वो तकरीबन संवत् 2035 ही बनता है। अर्थात् संवत् 2035 से पूर्व वादग्रस्त पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है यह एडमिट कथन जो पैतृक खातेदारी हक होने का स्वयमेव खण्डन करता है। यानि पैतृक खातेदारी अधिकार का कोई दावा नहीं बनता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
वाड़मेर

वादी एक अतिकमी है, यदा कदा उक्त भूमि पर अतिक्रमण करता रहा है।, जिस पर उसके विरूद्ध अत्रिकमी दर्ज कर उसे समय–समय पर जुर्माना से दण्डित किया जाता रहा है। एक अतिचारी (अतिकमी) कानून की दृष्टि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार नहीं हो सकता। इस कानूनी दृष्टिकोण पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान ही नहीं दिया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज पेरोकार द्वारा पेश जवावदावा के वाद दिनांक 06.04.2017 को तनकीयात कायम की जिसमें प्रथम तनकी ''आया वादी ग्राम जोरा नाडा तहसील शिव की ख. न. 723 रकबा 37.08 बीघा एवं खसरा नम्बर 960/722 रकबा 23.00 बीघा भूमि अपनी खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है।''

उक्त तनकी अपने आप में अपूर्ण व तथ्यों से परे बनाई गई स्पष्ट प्रतीत होती है, जब वादी वादपत्र में कथन करता है कि वक्त सेटलमेंट व पूर्व जागीरदारी से उनके वालिद का कब्जा, उनके वालिद को आवंटन से कब्जा व 37 वर्षों से एडवर्स पजेशन से कब्जा, बिन्दु में कौन सा विवाद बिन्दु तनकी संख्या 1 में रखा गया है, यह स्पष्ट ही नहीं हो रहा है, ऐसी तनकी स्वयं औचित्य हीन रही है।

जब तनकी संख्या 1 के कथन ''खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है?'' पर साक्ष्य सबूत लिये व विवेचन किया गया वह वास्तविकता से परे व बनावटी रहा है।

(अ) खातेदारी घोषणा के लिए रेकर्ड ऑफ राईट (जमाबन्दी) जो वक्त सेटलमेंट या सेटलमेंट से पूर्व जागीरदारी से व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के दिन से एक मात्र दस्तावेज साक्ष्य होना ही मूल आधार है, जिसको न तो वादी ने पेश किया है, न ही न्यायालय ने कभी चाहा है, बावजूद न्यायालय द्वारा उक्त तनकी सं. 1 पर निर्णय देते समय कथन किया जा रहा ''दोनों पक्षों के मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से वादग्रस्त दोनों खसरों की भूमि पर वादीगण का **कदीमी रूप से कब्जा होना स्पष्ट है' अर्थात मौखिक कथन यानि कोई दस्तावेज नहीं होना न्यायालय स्वयं** मान रहा है। संवत् 2012 से या इसे पूर्व से लगाकर संवत् 2070 को रेकर्ड ऑफ राईट का दस्तावेज न होने के बावजूद कदीमी कब्जा मानना अधीनस्थ न्यायालय का क्या औचित्य रहा यह स्पष्ट नहीं होता है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी का गलत ढंग से विवेचन किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कथन किया गया कि ''निरीक्षक भू अभिलेख शिव द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट से वादीगण का कब्जा काश्त, ढाणियों, टांकों आदि का होना साबित है'' परन्तु पत्रावली की आदेशिका व पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि **न्यायालय में मौका रिपोर्ट हेतु किसी भी पक्षकार ने कोई आवेदन या**

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निवेदन नहीं किया, न ही न्यायालय ने कोई मौका रिपोर्ट चाही गई थी, न ही न्यायालय द्वारा किसी सक्षम प्राधिकारी को कमिश्नर बताया गया है, तथा न ही भू अभि. नि. कमिश्नर की अधिकारिता रखते है, उक्त बनावटी मौका रिपोर्ट जिसका कोई प्रति परीक्षण नहीं करवाया गया है, कानूनन पत्रावली का भाग नहीं हो सकती न ही ऐसी वास्तविकता से परे मौका रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं की जा सकती है, वास्तव में पेरोकार राज तत्कालीन तहसीलदार (सरकार प्रतिनिधी) भू. अभि. नि. बने वादी से मिलावट कर वादी के पक्ष में सरकार प्रतिनिधी के जरिये साक्ष्य विनिर्मित करने के दुराशय उक्त मौका रिपोर्ट कायम कर इसके जरिये राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमि वादीगण को न्यायालय के माध्यम से वादीगण को खैरात में बांटने की व्यूह रचना की तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी कानूनी प्रावधानों की अनदेखी एक तरफा साक्ष्य विवेचन दर्शाकर निर्णय पारित है, उक्त तनकी संख्या 1 पर पारित निर्णय विधि विरूद्ध व अवैध होने से काबिल निरस्त है। सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द करने के आरोप में तत्कालीन भूमिधारक तहसीलदार एवं आई एल.आर. ने वादी को नाजायज फायदा पहुचाने के लिए ऐसे कृत्रिम साक्ष्य निर्मित किये। व वादीगण के कदीमी कब्जे को साबित करने हेतु दस्तावेजी आधार (साक्ष्य) खसरा परिवर्तनशील संवत् 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2032, 2046, 2047, 2048, 2049, 2058 को प्रतिरक्षा में पेश नहीं की, तथा सरकार के प्रतिनिधी जो उक्त पदों पर 2–3 वर्षों से नियुक्त होने के बावजूद अपने पदीय कर्तव्य के विरूद्ध जाकर वादीगण के कदीमी कब्जे काश्त के कथन करने में लगे रहे।

जबकि वादीगण ने स्वयं कोई आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत आवंटन पत्रावली आदेश या कमेटी समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र आदि को पेश नहीं किया, न ही विवेचन करवाया, न ही उनके पक्ष में आवंटन को साबित करवाया, यहां यह भी नहीं देखा की वादी, जब कदीमी से काबिज मानकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से खातेदारी हक का दावा कर रहा है, तो पश्चातवृती कथित आंवटन के कथन अपने आप ही औचित्य हीन है।

अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन पश्चात इसमें कुछ तथ्यातमक त्रुटियां इंगित हुई है और कुछ तथ्यों को पुष्ट प्रमाणों की आवश्यकता है तथा हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय उक्तानुसार विधिक त्रुटियों से ग्रसित है। अतः इनका समर्थन नहीं किया जा सकता। वाद का निस्तारण निर्धारित विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर किया जाना चाहिये। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुये आक्षेपित निर्णय पारित किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को न्यायहित में आंशिक स्वीकार कर रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव के राजस्व वाद संख्या 87/2014 बनवान जुसबखां वगै. बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.12.2017 को अपास्त किया जाकर खसरा संख्या 723 के संबंध में अतिक्रमी की हैसियत से पेश किया गया वादीगण का वाद खारीज किया जाता है तथा खसरा संख्या 960/722 के संबंध में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेश दिये जाते है कि समस्त राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर यदि रेस्पोडेंट के पक्ष कोई आवंटन आदेश हुआ या नहीं, आवंटन आदेश हुआ तो उसका राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ या नहीं, यदि रेस्पोडेंटस/वादी के पक्ष में कोई आवंटन आदेश पारित हुआ तो वो खारीज हुआ या नहीं का समुचित विवेचन करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपभयपक्ष दिनांक 13.05.2021 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(अरविन्द कुमार काखेड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर